फतेहगढ़ पुलिस

अफीम तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा

मोहम्मदाबाद। कोतवाल अनिल कुमार चौबे ने अफीम तस्कर राज्य झारखंड जनपद थाना खूटी गांव तारूब निवासी कुंजल मुंडा व जनपद बरेली थाना शाही निवासी हरप्रकाद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया। गिरोह चलाने का आरोप है। (संवाद)

गैंगस्टर में दो के खिलाफ मुकदमा

मोहम्मदाबाद।कोतवाली पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर अधिनियम में मुकदमे की कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार चौबे ने कुंजल मुंडा निवासी तारूब बूंटी, झारखंड और हरप्रसाद निवासी गौहाना बरेली के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि इन लोगों ने अपना एक संगठित गिरोह बना लिया है। यह गैंग अपने एवं अपने परिवारिक सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए संगठित होकर राजस्व हानि के उददेश्य से अवैध अफीम को बेचकर आर्थिक लाभ कमाकर अपने तथा अपने गैग का संचालन करता है।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस

तिहरे हत्याकांड में दो चचेरे भाइयों को फांसी की सजा

अवैध संबंधों के विरोध में पत्नी, मां व बहन को मौत के घाट उतारा था

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। अवैध संबंधों के विरोध पर दोषी ने चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी, मां व बहन की हत्या कर दी। अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शहर कोतवाली के मोहल्ला छावनी निवासी मोहम्मद कलीम (48) की पत्नी यासमीन, मां नूरजहां, बहन नसरीन की 25 जुलाई 2007 की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कलीम के चचेरे भाई शकील ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने

फर्रुखाबाद: साक्ष्य न मिलने पर एक को किया था बरी

छानबीन के बाद कलीम व शकील के अलावा मोहल्ला चौकदाराना निवासी ललनन, शमसाबाद के ... गांव निवासी प्रदीप व मुकेश के खिलाफ 16 अगस्त 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

इसमें आरोप लगाया कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर 25 जुलाई की रात करीब दो बजे कलीम ने साथियों के साथ मिलकर पत्नी, बहन और मां पर धारदार हथियार से हमला किया। इसके बाद तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी। कलीम ने खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया था। कलीम के किसी महिला से अवैध संबंध थे, जिसका उसके परिजन विरोध करते थे।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी प्रदीप व मुकेश की पत्रावली अलग कर दी गई। दोनों फरार चल रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने 13 अक्तूबर को कलीम व शकील को तिहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया था। साक्ष्य न मिलने पर ललनन को बरी कर दिया गया था। गुरुवार को न्यायाधीश ने कलीम व शकील को फांसी की सजा सुनाई।

>> 15 साल में फैसला : पेज 5

14 ने दी गवाही 15 साल में आया फैसला

सजा के बाद दोषियों के साथ परिजन भी बिलखते दिखाई दिए

दोषी कलीम और शकील। संवाद

फतेहगढ़ न्यायालय के बाहर रोते कलीम के परिजन। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। तिहरे हत्याकांड में 15 सालों के भीतर 14 लोगों की गवाही के बाद फांसी का फैसला आया है। गवाही देने वालों में वादी शकील, पड़ोसी हाजी मोहम्मद, मोहम्मद कमर, गफ्फार, पंचनामा भरने के दौरान के गवाह आरिफ, तमंचा बरामदगी की रिपोर्ट लिखने वाले मुंशी प्रकाश नारायण पुष्कर शामिल थे।

इसके अलावा हत्या का मुकदमा दर्ज करने वाले दरोगा बलवंत राय, डॉ. रमेश चंद्र, दरोगा हाकिम सिंह, पोस्टमार्टम करने वाले सहायक कन्हैयालाल, दरोगा यशकरन सिंह, इंस्पेक्टर अशोक कुमार शुक्ला, दरोगा सूरज सिंह, डॉ. योगेंद्र सिंह ने भी गवाही दी।

शकील के परिजन फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद कचहरी परिसर में बेहाल हो गए। पुत्र व दोनों पुत्रियां कई बार पिता से लिपटकर बिलखती रहीं। कलीम के यहां बच्चे अदालत नहीं पहुंचे।

शहर कोतवाली के मोहल्ला घेरा नखास निवासी शकील व कलीम की पत्नी यासमीन, मां नूरजहां, बहन नसरीन की हत्या 13 अक्तूबर को दोषी करार दिया गया था। शकील के पिता अब्दुल कादिर, मां शमीमन, पत्नी तबस्सुम, पुत्री शाजिया, इकरा व अरमान गुरुवार को सजा सुनाए जाने की वजह से सुबह से ही कचहरी पहुंच गए थे।

गुरुवार लंच के बाद सजा सुनाई गई। शकील व कलीम फफक-फफक कर रोते हुए बाहर निकले। अरमान, शाजिया, इकरा पिता शकील के पैरों पर चिपटकर रोने लगे।

सजा से पहले डीएम से मांगी थी रिपोर्ट

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तेज सिंह राजपूत ने 13 अक्तूबर को कलीम व शकील के दोषी करार होने पर 17 अक्तूबर को डीएम संजय कुमार सिंह को पत्र भेजा था। इसमें कहा था कि पत्नी, मां व बहन की हत्या में दोषी कलीम व उसके चचेरे भाई शकील को फांसी की सजा देने की याचना कोर्ट से की गई है।

दोष सिद्ध कलीम व शकील की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, कलीम व शकील के बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है, दोनों की आय व व्यवसाय के साधन के साथ आपराधिक इतिहास के संबंध में कोर्ट के माध्यम से 27 अक्तूबर कोर्ट में पेश की जाए। शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत, हरिनाथ सिंह, संजीव कुमार पाल, राजीव भगोलीवाल, अखिलेश राजपूत ने सजा को लेकर दलीलें दीं।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस

फर्रुखाबाद में मां, बहन व पत्नी के कातिल को फांसी की सजा

15 साल पूर्व छावनी फाटक मोहल्ले में हुई थी वारदात

- दो आरोपियों को हुई सजा दो अन्य अभी भी फरार

फर्रुखाबाद, संवाददाता। 15 साल पहले साली से प्रेम प्रसंग के चलते मां, बहन और पत्नी के कातिल को साथी समेत अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। उसके दो साथी फरार हैं। एक साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया था।

25/26 जुलाई 2007 की रात छावनी फाटक मोहल्ले में कलीम ने मां नूरजहां, पत्नी यासमीन और बहन नसरीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चचेरे भाई शकील अहमद ने अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शक के आधार पर कलीम व उसके दोस्त खटकपुरा निवासी शकील को पकड़ा था। दोनों ने घटना कबूल की। पुलिस ने 3 और साथियों को अभियुक्त बनाया था। शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस ने 11 गवाह पेश किए लेकिन ज्यादातर मुकर गए। वादी चचेरे भाई ने भी शकील के खिलाफ हत्या का समर्थन नहीं किया, फिर भी विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने फोरेंसिक साक्ष्य व गवाही के आधार पर कलीम व उसके दोस्त शकील को दोषी पाया। दोनों पर 50-50 हजार जुर्माना भी लगाया है। प्रदीप, मुकेश और लल्लन को भी अभियुक्त बनाया गया था। कोर्ट ने लल्लन को निर्दोष पाया, प्रदीप व मुकेश फरार हैं।

➤ हदें पार P03

घंटों चली दलीलें अंत में आया मृत्युदंड का फैसला, 15 साल पहले तिहरे हत्याकांड से लोग दहल गए थे

कलीम ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं

मौत की सजा

लल्लन उर्फ लल्ला अदालत से किया गया था दोषमुक्त

कब कब क्या हुआ

दोस्त से मिल कर कलीम ने किया था परिवार साफ

मां को बांके से काटा फिर गोलियों से भून डाला था

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

युवक को गोली मारने में आरोपी को भेजा जेल

संवाद न्यूज एजेंसी

चकरोड के विवाद में 29 अक्तूबर की शाम हुई थी घटना

मोहम्मदाबाद। युवक को गोली मारने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

आरोपी अभिनेंद्र। संवाद

कोतवाली क्षेत्र के गांव मदनापुर निवासी नंद किशोर(25) 29 अक्तूबर की शाम खेत की ओर गया था। गांव के ही राय सिंह, राघवेंद्र, उपेंद्र, अभिनेंद्र सिंह ने चकरोड के विवाद में नंदकिशोर के गोली मार दी थी। गोली की आवाज सुनकर भाई आनंद किशोर मौके पर पहुंचा और घायल भाई को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया था।

वहां से रेफर किए जाने पर परिजनों ने उसे नर्सिंग में भर्ती कराया था। वहां वह अभी भर्ती है। भाई आनंद किशोर की तहरीर पर पुलिस ने राय सिंह, राघवेंद्र सिंह, उपेंद्र, अभिनेंद्र के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

पुलिस ने गुरुवार को आरोपी अभिनेंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

यातायात माह के तहत वाहन चालकों को किया जागरूक

यूथ इण्डिया संवाददाता

फर्रुखाबाद। यातायात माह के तहत यातायात प्रभारी रजनीश कुमार ने अपनी टीम के साथ न केवल वाहन चेकिंग अभियान चलाया बल्कि लोगों को नशा करके वाहन न चलाने के लिए जागरूक भी किया है।

यातायात प्रभारी रजनीश कुमार अपनी टीम के साथ इस समय लोगो को जागरूक करने का काम कर रहे है। इसी के चलते उन्होने घूम घूमकर वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर नशे की हालत में वाहन न चलाऐं इससे दुर्घटनाऐं होने की संभावनाऐं अधिक रहती है। इस मौके पर उन्होने वाहनों पर यातायात के नियमों को बताने के उद्देश्य से चिटें भी चस्पा की है। इसके साथ ही उन्होने बताया कि यातायात के नियमों का पालन करें उन्होने टैक्सी, मैजिक, डीसीएम, बाइकों व ट्रकों के कुल 61 चालान भी किये है। उनका कहना है कि यह यातायात माह पूरे महीने चलेगा। यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही इसी तरह अमल में लाई जायेगी। वाहन चेकिंग होने से वाहन चालकों में पूरे दिन खलबली मची रही।

मीडिया सेल